



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2020

पौष 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2457/9-1-2020-75टी0ए0-20

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-495

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां या सुझाव आमन्त्रित किये जाने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची-1 व अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत मिरहची, जिला एटा के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत मिरहची, जिला एटा का प्रादेशिक क्षेत्र:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्यायें
1	2	3	4
1	मिरहची	उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम	1, 12, 16, 17, 18, 22, 57, 19, 20, 324, 325, 327, 347, 344, 333 219, 220, 221, 228, 229, 230, 231, 333, 339, 224, 241 336, 337, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 361 134, 135, 136, 137, 140, 151, 152, 159, 161, 162, 164
2	फरीदपुर	दक्षिण	122, 125, 80, 79, 78, 77, 73, 72, 69, 68
3	हुसैनचक	पूरब	31, 30, 29, 28, 27
4	जिन्हैरा	पश्चिम	633, 613, 612, 611, 610, 607, 608, 598, 568, 567, 566, 565
5	आजमपुर	दक्षिण	32, 33, 34, 36, 41
6	कुटैना माफी	उत्तर	33, 46, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
7	फतेहपुर सोनोट	उत्तर	1, 13, 15

अनुसूची-2

नगर पंचायत मिरहची, जिला एटा का प्रादेशिक क्षेत्र

क्र०सं०	ग्राम सभा का नाम	सम्मिलित ग्राम सभा के ग्रामों का नाम	सम्मिलित क्षेत्र
1	2	3	4
1	मिरहची	मिरहची, नगला गुमानी, नगला चहबच्चा, फरीदपुर, हुसैनचक	सम्पूर्ण
2	जिन्हैरा	जिन्हैरा, नगला नथा, आजमपुर	सम्पूर्ण
3	कुटैना माफी	कुटैना माफी, नगला घसिया, नूरनगर	सम्पूर्ण
4	सोनोट	सोनोट, फतेहपुर माफी	सम्पूर्ण
5	जारथल	जारथल, न्याजनगर	सम्पूर्ण
6	बढौली	बढौली	सम्पूर्ण

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2457/IX-1-2020-75T.A.-2020, dated December 22, 2020:

No. 2457/IX-1-2020-75T.A.-2020

Dated Lucknow, December 22, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) is hereby published for the information of the general public and with a view to invite objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

DRAFT NOTIFICATION

IN exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in Schedule-1 and Schedule-2 below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Mirhachi in District Etah.

SCHEDULE-1

Territorial Area of Nagar Panchayat Mirhachi in District Etah

Sl. No.	Name of Village	Direction	Gata Nos.
1	2	3	4
1	Mirhachi	North	1, 12, 16, 17, 18, 22, 57, 19, 20, 324, 325, 327, 347, 344, 333
		South	219, 220, 221, 228, 229, 230, 231, 333, 339, 224, 241
		East	336, 337, 352, 353, 357, 358, 359, 360, 361
		West	134, 135, 136, 137, 140, 151, 152, 159, 161, 162, 164
2	Faridpur	South	122, 125, 80, 79, 78, 77, 73, 72, 69, 68
3	Husainchak	East	31, 30, 29, 28, 27
4	Jinhaira	West	633, 613, 612, 611, 610, 607, 608, 598, 568, 567, 566, 565
5	Azampur	South	32, 33, 34, 36, 41
6	Kutaina Mafi	North	33, 46, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 286, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304
7	Fatehpur Sonoth	North	1, 13, 15

SCHEDULE-2

Territorial Area of Nagar Panchayat Mirhachi in District Etah

Sl. No.	Name of Gram Sabha	Included Village/Gram Sabha	Included Area
1	2	3	4
1	Mirhachi	Mirhachi, Nagla Gumani, Nagla Chahabaccha, Faridpur, Husainchak	Total Area
2	Jinhaira	Jinhaira, Nagla Natha, Azampur	Total Area
3	Kutaina Mafi	Kutaina Mafi, Nagla Ghasiya, Noor Nagar	Total Area
4	Sonoth	Sonoth, Fatehpur Mafi	Total Area
5	Jarthal	Jarthal, Nyajnagar	Total Area
6	Badhauri	Badhauri	Total Area

By order,
DEEPAK KUMAR,
Prમukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 587 राजपत्र-2021-(1194)-599+50=649 प्रतियौँ (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।